[To be published in the Official Gazette, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O.____(E)._ In exercise of the powers conferred by section 454 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published *vide* number S.O.831 (E), dated the 24th March, 2015, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5 for the entries, the following entries shall be substituted, namely,-

5	"Registrar of Companies-cum- Official Liquidator, Jammu	Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh"
---	--	---

2. This notification shall come into force with effect from 31st October, 2019.

[F. No.5/20/2019 -B -CL-V]

(KVR Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 831(E), dated the 24th March, 2015 and subsequently amended *vide* number S.O. 5459(E), dated the 26th, October, 2018 and lastly amended *vide* number S.O.2650 (E) dated 25.07.2019.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ) तारीख 24 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:- उक्त अधिसूचना में तालिका के क्रम संख्या 5 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात:-

5	"कंपनी	रजिस्ट्रार-सह-शासकीय	जम्मू	और	कश्मीर	संघ	राज्य	क्षेत्र	तथा	लद्दाख	संघ
	समापक,	जम्म्	राज्य	क्षेत्र"							

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.5/20/2019-ख-सीएल.V]

के.वी-3412-मिर्व 30 10 19 (के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ.831(अ) तारीख 24 मार्च, 2015 के तहत प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् संख्या का.आ.5459(अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई और अंतिम बार संख्या का.आ.2650(अ) तारीख 25.07.2019 को संशोधित की गई।